



राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:—मुअ—मु0/ई—प्रोक/2018/16

दिनांक 22-1-18


कार्यालय आदेश

पूर्व में जारी आदेश क्रमांक मुअ—मु0/राआमं/2015/1120 दिनांक 28.12.15 के तहत रु. 10.00 लाख एवं इससे अधिक राशि के निर्माण कार्यों की निविदाएं आमन्त्रित करने के लिए 'ई-टेण्डरिंग' पद्धति प्रभावी की गई थी।

मण्डल में पारदर्शिता बढ़ाने की दृष्टि से उपापन के निम्नलिखित प्रकारों में इलैक्ट्रॉनिक उपापन का अंगीकरण तुरंत प्रभाव से अनिवार्य होगा, अर्थात् :-


1. दस लाख रूपये या अधिक के प्राक्कलित मूल्य वाले माल और सेवाओं के उपापन, और
2. पांच लाख रूपये या अधिक के प्राक्कलित मूल्य वाले संकर्मों के उपापन।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।


मुख्य अभियन्ता—मु0,
रा0आ0मं0, जयपुर।

प्रतिलिपी सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव—माननीय अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, रा0आ0मं0, जयपुर।
2. तकनीकी सहायक—मुख्य अभियन्ता—प्रथम/द्वितीय/मु0, रा0आ0मं0, जयपुर।
3. निजी सचिव—सचिव/वित्तीय सलाहकार, रा0आ0मं0, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता—प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा0आ0मं0, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, रा0आ0मं0, जयपुर।
6. तकनीकी सहायक—अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, रा0आ0मं0, जयपुर।
7. उप आवासन आयुक्त, रा0आ0मं0,.....समस्त।
8. आवासीय अभियन्ता रा0आ0मं0,.....समस्त।
9. संयुक्त निदेशक (S.A.), कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, रा0आ0मं0, जयपुर।
10. आवासीय अभियन्ता (ई—प्रोक), रा0आ0मं0, जयपुर को उक्त आदेश मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड करवाने बाबत।
11. रक्षित पत्रावली।



(एच.डी.माथुर)
आवासीय अभियन्ता
ई—प्रोक